न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील सं0 18/2025 रसद
उचित मूल्य दुकानदार श्री मुन्नालाल सैनी पोस संख्या 21003 ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

.......अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

......रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश जिला रसद अधिकारी दौसा दिनांक 18.09.2025 उनवानी प्रकरण राज्य सरकार जरिए प्रर्वतन निरीक्षक सिकराय बनाम मुन्नालाल सैनी उचित मूल्य दुकानदार प्रकरण संख्या 22/2025

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती सूरज बाई मीना, विभागीय पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 18.9.2025 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा एक प्रकरण जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड संधारित नही था। दुकान पर स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं था। खाद्य सुरक्षा ई सूची वक्त निरीक्षण उपलब्ध नही करवाई गई। उचित मूल्य दुकानदार ने वक्त निरीक्षण गैंहू उठाव के बिल बाउचर उपलब्ध नहीं करवाये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पॉश मशीन 21003 प्रस्तुत नहीं की गई। वक्त निरीक्षण पूछने पर बताया कि पॉश मशीन गुम हो चुकी है लेकिन पॉश मशीन गुम [illegible] रसद कार्यालय को देने के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । ईपी[illegible]ल पर उपलब्ध स्टॉक के अनुसार गैंहू का स्टॉक बी.पी.एल/ए[illegible] मात्रा 12098.47 किलोग्राम तथा गैंहू ए. पी. एल कैटेगिरी 8786.48 [illegible] 329 फूड पैकेट [illegible] ऑयल पैकेट उक्त कुल गैंहू का स्टॉक जोडने पर 208[illegible] किलोग्राम होता है [illegible] गैंहू तथा फूड पैकेट एवं ऑयल पैकेट का भौतिक सत्यापन कराने पर शून्य पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अवगत कराया कि पॉश मशीन संख्या 21003 गुम हो चुकी है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

मशीन गुमशुदगी की रिपार्ट दर्ज करवा दी। प्रवर्तन निरीक्षक को सूचना उपलब्ध कराई वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार ने बताया कि माह फरवरी 2025 व मार्च 2025 का राशन वितरण दूसरे डीलर श्री मनीष मीना पॉश संख्या 8388 ग्राम पंचायत मानपुर की मशीन में डालकर वितरण किया इस संबंध में डीलर मन्नालाल सैनी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को पूर्व में सूचित नही किया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार ने राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1978 के तहत जारी प्राधिकृत पत्र की शर्त संख्या 56710 का उल्लंघन किया है। प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये डीलर ने दिनांक 01.05.2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें जवाब पेश करने हेतु 10 दिवस का समय और चाहा। परन्तु अप्रार्थी डीलर द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इस प्रकार अपीलान्ट को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने जवाब व सबूत का मौका दिये बगैर ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा उचित मूल्य दुकानदार मन्नालाल सैनी की पॉश संख्या 21003 की संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/– रूपये जब्त सरकार करने व अपीलान्ट का प्राधिकृत पत्र निरस्त करने के अवैध आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को जवाब व सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर ही नही दिया। जबकि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर 10 दिन का समय जवाब पेश करने मांगा था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देने के पश्चात ही मैरिट पर गुण अवगुण के आधार पर कोई निर्णय पारित करना चाहिए। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता या प्राधिकृत पत्र की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 18.09.2025 निरस्त फरमाते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर मैरिट पर निर्णय करने का आदेश पारित फरमाया जावे।

4. विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी दौसा एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा प्रार्थी का उचित मूल्य दुकान का दिनांक 28.10.2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई। उपभोक्ताओं के द्वारा अवगत कराया गया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाता है एवं जाति इंगित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उचित मूल्य दुकान नियमित नहीं खोली जाती है। प्रार्थी को जिला रसद अधिकारी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी के द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। डीलर द्वारा पॉश मशीन [illegible] एनएफएसए 20884.93 किलोग्राम का दुरूपयोग सिद्ध होने पर [illegible] दौसा के द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपील [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:38 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रवर्तन निरीक्षक, सि[illegible]राय की दिनांक 25.03.2025 की निरीक्षण रिपोर्ट (जाँच मौका फर्द) और जिला रसद अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.09.2025 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार (उ.मू.दु.) श्री मुन्नालाल सैनी द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गईं. ये अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

7. दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर, खाद्य सुरक्षा ई–सूची तथा गेहूँ उठाव के बिल/बाउचर संधारित/उपलब्ध नहीं थे.

8. पीओएस मशीन संख्या 21003 गुम होने की सूचना जिला रसद कार्यालय को देने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए.

9. ई.पी.डी.एस पोर्टल पर उपलब्ध 20,884.93 कि.ग्रा. गेहूँ (बीपीएल/एसबीपीएल/एएवाई और एपीएल श्रेणियों का योग), 329 फूड पैकेट एवं 419 ऑयल पैकेट का स्टॉक भौतिक सत्यापन पर शून्य पाया गया.

10. माह फरवरी 2025 तथा माह मार्च 2025 का राशन वितरण दूसरे डीलर श्री मनीष मीना (पोस सं. 8388) की मशीन में डालकर किया गया, जिसकी पूर्व सूचना प्रवर्तन निरीक्षक को नहीं दी गई.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघनः स्टॉक का शून्य पाया जाना और पीओएस मशीन के अनुसार 20,884.93 कि.ग्रा. गेहूँ का भौतिक सत्यापन पर नहीं मिलना गबन (**Embezzlement**) की पुष्टि करता है. यह कृत्य 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976' की शर्त संख्या 5, 6, 7, 10, 8, 9, 11, व 17 का स्पष्ट एवं गंभीर उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.

12. जवाब व साक्ष्य के अवसर पर विचारः अपील का मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलान्ट को जवाब व सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया. पत्रावली का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अप्रार्थी डीलर ने स्वयं दिनांक 01.05.2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु 10 दिवस का समय मांगा था. इसके पश्चात भी पत्रावली जवाब हेतु 13.05.2025, 11.06.2025, 18.07.2025, 31.07.2025 और 29.08.2025 तक कई बार पेश की गई. दिनांक 29.08.2025 के आदेश से यह स्पष्ट है कि इतना समय दिए जाने के बावजूद डीलर किसी भी पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ और जवाब प्रस्तुत नहीं किया. इस प्रकार, अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि अप्रार्थी को जवाब पेश करने के लिए पर्याप्त एवं बार–बार अवसर दिए गए, जिनका उपयोग अपीलान्ट ने स्वयं नहीं किया. इस स्थिति में, अधीनस्थ अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही (**Ex Parte Proceeding**) करना न्यायसंगत था, विशेषकर जब आरोप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के गंभीर गबन से संबंधित हों.

13. निष्कर्षः प्रकरण में सामने आए तथ्य सार्वजनिक खाद्यान्न के गंभीर गबन की पुष्टि करते हैं, और अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. अधीनस्थ अधिकारी का निर्णय साक्ष्यों एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप है.

आदेश (Operative Order):– उपरोक्त कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पा[illegible] प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा दि[illegible]09.2025 को पारित निर्णय व आदेश की पुष्टि की जाती है। जिसके द्वा[illegible] उचित मूल्य दुकानदार श्री मुन्नालाल सैनी (पोस सं. 21003) [illegible] राशि ₹1000/– (एक हजार रुपये) जब्त सरकार की गई है एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र [illegible]रस्त किया गया है। साथ ही गबन किए गए गेहूँ की राशि (30.57 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ₹6,38,424/–) की वसूली हेतु एफआईआर दर्ज कराने का आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनायागया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:38 IST
Reason: SelfAttested